

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित) से दुर्घटना में मृत 02 श्रमिक के आश्रित को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से कुल ₹ 200000/- (दो लाख रूपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 290000/- (दो लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० गरभू पासवान, श्री गेना पासवान, अनु० जाति	श्रीमती सुकुमारी देवी(पत्नी)	460/17.5. 2017	ग्रा०+पो०-करजापट्टी, था०-कमतौल, प्र०-केवटी, दरभंगा	10044410 30052673	यू०बी०जी०बी०, करजापट्टी, CBINOR10001	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० नाजीर सदाय, श्री अयोधी सदाय, अनु० जाति	श्रीमती वीणा देवी(पत्नी)	463/18.5. 2017	ग्रा०+पो०-नयागाँव, था०-रैयाम, प्र०-केवटी, दरभंगा	22826892 19	सी०बी०आई०, रैयाम, CBIN0282466	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	स्व० झड़ी सहनी, स्व० गेना सहनी, सामान्य	श्रीमती शुभकला देवी(पत्नी)	462/18.5. 2017	ग्रा०-बनसारा, पो०-पचाढ़ी, था०-रैयाम, प्र०-केवटी, दरभंगा	32421640 31	सी०बी०आई०, रैयाम, CBIN0282466	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रजमिस्त्री
4	स्व० देवचन्द्र सिंह, श्री शिवजी सिंह, सामान्य	श्रीमती रीता देवी(पत्नी)	458/16. 03.2018	ग्रा०/मु०-कैथवार, पो०-कैथवार, था०-सकतपुर, प्र०-तारडीह, दरभंगा	34568297 447	एस०बी०आई० बेनीपुर SBIN0003532	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० मनचुन देवी, सामान्य	श्री उमेश चौधरी(पति)	459/16. 03.2018	ग्रा०/मु०-हरिपुर, पो०-हरिपुर, था०-बहेड़ा, प्र०-बेनीपुर, दरभंगा	10045910 30117327	यू०बी०जी०बी०, हरिपुर, CBINOR10001	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, दर्जीगिरी

कुल :- ₹ 290000/-

(दो लाख नब्बे हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-22/2015 के पृष्ठ-46/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-22/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित

आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-22/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-22/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 290000/- (दो लाख नब्बे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-22/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, दरभंगा को उनके पत्रांक 370 दिनांक 01.03.2018, 458, 459 दिनांक 16.03.2018 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-22/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, दरभंगा को उनके ज्ञापांक 460 दिनांक 17.5.17, 462, 463 दिनांक 18.5.17 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-22/2015-286

पटना, दिनांक :- 02-07-18

प्रतिलिपि :- आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।